संख्या-16/2016/392/84-1-16-23बामा(बजट)/12

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 26 मई, 2016

विषय- वेब्रिज टेस्टिंग मोबाइल वैन के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में बजट प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-137/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2014-15, दिनॉक 28 अप्रैल,2016 के क्रम में एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विधिक माप विज्ञान विभाग में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी वेब्रिज टेस्टिंग मोबाइल वैन के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-21 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,000/- (दस लाख रूपये) मात्र की धनराशि इस शर्त के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का उपयोग/आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का यथावत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनागत-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय" की मद सं0-15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद मद में डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-16/2016/392(1)/84-1-16-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in